

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, कोरबा
अधिसूचना:-

क्र./11923/भू-अर्जन/2024

कोरबा, दिनांक 22-04-2024

भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियतम 7 के अंतर्गत

नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात्:-

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल	लोक प्रयोजन का विवरण
कोरबा	हरदीवाजार	बोईदा	2.206 हे.	बोईदा मुख्य मार्ग से नायकपारा तिलैयापारा फुटहामुड़ा मार्ग लंबाई 2.76 कि.मी. निर्माण हेतु अर्जन

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 18/04/2024 को समय 11.00 बजे से स्थान पता पंचायत भवन पर नियत की गई है। प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है:-

- लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण :- बोईदा मुख्य मार्ग से नायकपारा तिलैयापारा फुटहामुड़ा मार्ग लंबाई 2.76 कि.मी. निर्माण हेतु अर्जन
- प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या :- 45 परिवार
- अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या :- 45 परिवार
- प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या :- 16
- प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या :- 01 सार्वजनिक मंच देवस्थान
- क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है? :- हाँ
- क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है? :- हाँ
- परियोजना की कुल लागत :- रुपये 508.39 लाख
- परियोजना से होने वाले लाभ :- आवागमन हेतु बारहमासी सड़क
- प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय :- प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं तथा उस पर होने वाले संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है।
- परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक :- निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं
भू-अर्जन अधिकारी
अनुविभाग - पाली, जिला -कोरबा (छ.ग.)

(अर्जित वसंत)
कलेक्टर
जिला- कोरबा एवं पदेन उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग